राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/17/ 36847 दिनांक :– 10/07/17

आयुक्त नगर निगम समस्त
आयुक्त नगर परिषद समस्त
अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका समस्त।

विषय : स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए Bulk Waste generators द्वारा अपने प्रतिष्ठानों पर कचरा पात्र रखनके संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि, पूर्व मे दिये गये निर्देशों की निरन्तरता मे वाणिज्यिक क्षेत्रों, बाजारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पन्न कचरे को स्त्रोत पर इक्ट्ठा करने हेतु प्रत्येक प्रतिष्ठान मालिक को गिले कचरे हेतु हरा डिब्बा तथा सुखे कचरे हेतु नीला डिब्बा रखा जाकर कचरा इक्ट्ठा कर नगर निकाय के वाहन/निकाय द्वारा अधिकृत वाहन मे डाला जाकर कचरे का परिवहन किया जाना है।

उक्त व्यवस्था होने के उपरान्त निकायों के वाणिज्यिक क्षैत्रो/व्यापारियों के प्रतिष्ठानों व मार्केट से निकलने वाले कचरे का बेहतर प्रबन्धन हो सकेगा।

नगर निगम जयपुर द्वारा इस संबंध मे सफल प्रयोग किया गया है, जिसको अन्य नगर निकायों द्वारा अपनाया जाकर कचरे का बेहतर प्रबन्धन किया जा सकता है। विस्तृत जानकरी हेतु नगर निगम जयपुर की स्वच्छ भारत मिशन टीम से संपर्क किया जा सकता है।

अतः स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत कचरे के बेहतर प्रबन्धन हेतु वाणिज्यिक क्षैत्रो/व्यापारियों के प्रतिष्ठानों व मार्केट पर कचरा पात्र (Dust Bin) Waste generators से रखवाये जाने की व्यवस्था करावें तथा इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग कर शहरों को साफ–सुथरा बनाये जाने के लिए व्यक्तिगत रूचि लेते हुये कार्य सम्पन्न करावें।

(डॉ0 आरुषी मलिक)
निदेशक स्वच्छ भारत मिशन

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 16/ 36848– 855 दिनांक :– 10/07/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।

2. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM), भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011
3. मिशन निदेशक (शहरी) स्वच्छ भारत मिशन
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
5. मुख्य अभियंता निदेशालय।
6. क्षेत्रीय उपनिदेशक समस्त को भेजकर लेख है, कि आपके अधीन सभी नगर निकायों मे उपरोक्तानुसार व्यवस्था करवाते हुये पालना रिपोर्ट भिजवाये।
7. संयुक्त निदेशक (SA) को भेजकर लेख है कि कि विभागीय वेबसाइट अपलोड करावें।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
निदेशक स्वच्छ भारत मिशन